न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– संदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :–

1. जगदी ा पुत्र बीरबलराम जाति बि नोई साकिन चक 1–2 केवाईएम तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... प्रार्थीगण

बनाम

1. सुखविन्द्रसिंह पुत्र नाहरसिंह जाति मजहबी चक 29 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. अधि ाांशी अभियंता जल संसाधन खण्ड खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला

.... अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाश्वकगण :–

1. श्री पुरूशोतम सारस्वत विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. पैरोकारराज उपस्थित।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डी ान्स 1955 की भार्त 8 (2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट एवं धारा 151 सी.पी.सी.अधिनियम

आदे ा दिनांक :– 28.01.2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत राजस्थान जनरल कालोनी कन्डी ान्स 1955 की भार्त 8(2) सपठित धारा 251(क) आर.टी.एक्ट अन्तर्गत राजस्थान का तकारी अधिनियम में प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि प्रार्थी की चक 1–2 केवाईएम के मु0न0 17/22 के किला नं0 2 ता 8 14 ता 16, 23 ता 25 तादादी 13 बीघा कमाण्ड खातेदारी दर्ज है। जो चक 29 केवाईडी 'ए' के पास ही केवाईडी नहर से केवाईएम माईनर निकलता है जो प्रार्थी के किला नं0 23 ता 25 के मध्य निकलता है जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रार्थी मु0न0 17/6, 17/14 के किला नं0 21 ता 25 जहां 2–2 बिस्वा रास्ता दर्ज कागजात है से होकर मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 से अपने किला नं0 23 में प्रवे ा करता है। मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है जो राजनीतिव ा झगड़ा–फसाद करता है। प्रार्थी ने काफी बार रास्ता कटान व चालू करवाने का प्रार्थना पत्र राजस्व केम्पों में दिये। प्रार्थी किला नं0 21 ता 22 में रास्ता कटवाना चाहता है तथा नियमानुसार धारा 251 'क' की पालना में रास्ता चाहता है तथा प्रार्थी ने अपने किला नं0 23 ता 24 में भी 2–2 बिस्वा रास्ता कटान करने की सहमति दी है।

वर्तमान में राजस्थान का तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत से अन्य खातेदार की जोत में से होकर नया रास्ता बनाने के लिये प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है। उपखण्ड अधिकारी संक्षिप्त जांच यदि उसका समाधान इस प्रकार हो जाये कि

1. यह आव यकता आत्यंतिक आव यकता है, केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है, तथा
2. वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्व हो रहा हो

तो आदे ा द्वारा आवेदक को अन्य निकटतम रास्ते से नये रास्ते का अधिकार मन्जूर किया जा सकेगा। ऐसे प्रतिकार का संदाय निम्न प्रकार से निर्धारित करने के उपरांत उभयपक्षों पर दायी हो।

क. पक्षकार Compansation पर Mutually Agree हो।

ख. यदि Mutually Agree नहीं हो पाये तो डीएलसी दर की दुगुनी रा ि का निर्धारण रास्ते की भूमि हेतु तय किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये रजि0ए0डी0 तलब किया गया जिसपर अप्रार्थी सं0 1 बावजूद तलबी उपस्थित नहीं। तहसीलदार खाजूवाला से मौका रिपोर्ट ली गई जो भ ामिल पत्रावली की गई चूंकि प्रकरण दिनांक 29.08.2016 से जैरकार है इसलिए प्रार्थी की प्रार्थना पर बहस एकतरफा सुनी गई।

न्यायालय ने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो तथा प्रार्थी के कथनों व तहसीलदार रिपोर्टों का गहनता से अवलोकन किया जिसमें प्रार्थी ने अपने मु0न0 17/22 में जाने के लिए मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 22 से रास्ता चाहा है एवं साथ ही स्वंय ने भी अपने किला नं0 23 ता 24 में रास्ता कटान करने की स्वीकृति पत्र दिया है। चूंकि प्रार्थी की भूमि केवाईएम माईनर के दोनों तरफ है और रास्ता खेत की अहम आव यकता है ।

उक्त द ा में प्रार्थी के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है और आव यकता अत्यांतिक है । रिपोर्ट तहसीलदार व नक ा से भी उक्त रास्ते की ताईद की है। प्रार्थी ने भी प्रार्थना पत्र में राजस्थान जनरल कालोनी कन्डी ान्स 1955 की भार्त 8(2) भी लिखा जो सार्वजनिक उपक्रम में है। प्रार्थी को केवल 251 क में भी उपचार उपलब्ध है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज कर चालू किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार खाजूवाला को आदे ा दिया जाता है कि चक 1–2 केवाईएम के मु0न0 17/22 के किला नं0 21 ता 24 में पूर्व से प ि चम 2–2 बिस्वा रास्ता गैरमुमकिन दर्ज करें तथा प्रार्थी अप्रार्थी सं0 1 को किला नं0 21 ता 22 की 2–2 बिस्वा भूमि की वर्तमान डीएलसी से दुगुनी रा ि एक माह में देकर रिकॉर्ड में अंकन करावें। गुजरने मियाद या रा ि अप्रार्थी द्वारा नहीं लेने पर अमानत मद में तहसीलदार जमा कर रिकॉर्ड में गैरमुमकिन दर्ज कर रास्ता चालू करवावें। तहसीलदार राजस्व खाजूवाला आदे ा की पालना सुनि ि चत करें पत्रावली फैसल ुमार होकर दाखिल–दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(संदीप कुमार),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)